मानव तस्करी की समस्या को बयां करती हिंदी आदिवासी कहानियाँ

नेहा यादव

भूमिका- स्वाभाविक मानवीय जीवन को त्यागने और सभ्य बनने का ढोंग करते-करते मनुष्य वस्तुओं से आगे बढ़कर इंसानों की खरीद-फरोख्त में पूरी तरह से रम चुका है। उसके लिए इंसान और वस्तु में कोई फर्क नहीं रह गया है। आए दिन अखबारों के पन्ने मानव तस्करी की खबरों से भरे होते हैं। फिर भी ध्यान की बजाय उपेक्षा की श्रेणी में इनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। आज यह समस्या पूरे विश्व को अपने चंगुल में जकड़ चुकी है। इस खरीद बेच का उद्देश्य शारीरिक शोषण, अंग निष्कासन, जबरन विवाह, बंधुआ मजदूरी आदि अपराध होते हैं। वर्ष 2017 में राजस्थान राज्य में ईंट भट्टा कामगारों के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान राज्यों के 40% से भी अधिक मौसमी कामगारों की भट्टा मालिकों के प्रति देनदारी थी जो पूरे मौसम में कामगारों द्वारा अर्जित राशि से भी अधिक था। कुछ राज्यों में शोषणकारी ठेकेदारों जो बंधुआ मजदूरी में श्रमिकों को फंसा लेते थे। वे स्थानीय सरकारी अधिकारी अथवा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कुछ मानव तस्करों ने बंधुआ मजदूरों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी वैध मजदूरी मांगी और कुछ बंधुआ मजदूरों की मानव तस्करों के कब्जे में मौत हो गई। मानव तस्कर 8 वर्ष की कम आयु के बच्चों का कृषि (नारियल, नील, अदरक और गन्ना) निर्माण घरों में काम करवाकर, परिधान, इस्पात और कपड़ा उद्योग (चर्मशोधन, चूड़ी और साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां), भीख मांगना, अपराध करवाने, खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्रियों जैसे,(बिस्कुट, रोटी बनाने, मांस की पैकिंग करने और अचार बनाने, फूलों की खेती, कपास, जहाज का विखंडन करने और विनिर्माण (तार और कांच) में जबरन मजदूरी करवाकर शोषण करते हैं।अनेक संगठनों ने पाया कि मानव तस्करी पीड़ितों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा-बंधुआ मजदूरी और यौन मानव तस्करी दोनों रूपों में की गई जोकि भारत सहित विशेष रूप से दक्षिण एशिया में व्याप्त थी। भारतीय स्तर पर ज्यादातर इससे प्राभावित क्षेत्रों में बिहार, झारखंड,राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आदिवासी बहुल राज्य रहें हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 इसके रोकथाम की बात करते हैं तो वहीं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 व 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने हेतु व्यापक उपाय प्रदान करती है। धारा 372 व 373 वेश्यावृति के उद्देश्य से लड़कियों को बचाने व खरीदने से संबंधित है। IPTA(1956), POCSO आदि अधिनियमों की सक्रियता होने के बावजूद भी भारत अभी सुधार की स्थिति में कुछ बेहतर नहीं कर पाया है। यूनाइटेड स्टेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को दूसरी श्रेणी में रखते हुए कहा गया है कि भारत तस्करी को खत्म करने के लिए न्यूनतम मांगों को पूरा नहीं कर पाया है जबकि इसे खत्म करने के लिए सरकार

लगातार आवश्यक प्रयास करती रही। साथ ही जब बंधुआ मजदूरी की बात आती है तो यह प्रयास अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। साहित्य की दुनिया ने भी इन समस्याओं पर अपनी दृष्टि फेरी हैं। यहां हम बात करेंगे आदिवासी क्षेत्रों में हो रही मानव तस्करी की घटनाओं के विषय में जिसके आधार में हैं वाल्टर भेंगरा तरुण की कहानी संगी, लसा, मक्कड़जाल, मंगल सिंह मुंडा की कहानी धोखा, रूपलाल बेदिया की कहानी अमावस्या की रात में भागजोगनी।

बीज शब्द- मानवता, तस्करी, सामाजिक समस्या, आदिवासी, अधिनियम, हिंदी कहानी साहित्य।

शोधालेख-

हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार हरिराम मीणा जी 28 दिसंबर 2022 को दैनिक भास्कर पत्र में अपने लेख(आदिवासी बच्चों की तस्करी पर आखिर कब लगा पाएंगे विराम?) के माध्यम से समाज में चल रही मानव तस्करी की समस्याओं पर बात करते हुए हमें सचेत कर रहे हैं कि "विस्थापन और बेरोजगारी ने आदिवासी समाज के सामने जीवन यापन की एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इसका सबसे बुरा असर आदिवासी समाज के नाबालिगों पर पड़ रहा है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से मां-बाप बेटियों को बेच रहे हैं या बच्चों को बंधक मजदूरों के रूप में गिरवी रख रहे हैं। इस अपराध में दलाल एवं गिरोह बेधड़क सक्रिय हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकारी नारा दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। शादी का लालच देकर इन बालिकाओं को नारकीय जीवन में धकेला जा रहा है अपराधिक गिरोह द्वारा कई किशोरियों को फर्जी दुल्हन बनाकर ससुराल से नगदी व गहने लेकर फरार हो जाने का काम सौंपा जाता है, उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, ऐसे गिरोह के चंगुल से भाग निकलना इन बच्चियों के लिए असंभव हो जाता है…वे आगे लिखते हैं कि दक्षिणी राजस्थान से निकटवर्ती गुजरात,मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में आदिवासी समाज खासकर किशोर किशोरियों का पलायन खतरे का संकेत है। गरीबी के कारण इन्हें बेचा जा रहा है, ठेके पर दिया जा रहा है। यह बच्चे अंततः हमारे देश का भविष्य है और भविष्य को दोनों हाथों से थामना बहुत जरूरी है।"[1]

मानव तस्करी कि यदि हम बात करें तो इसमें श्रम और यौन शोषण आदि के उद्देश्य से बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है तथा ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को आर्थिक लाभ होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक शोषण, अंग निष्कासन, जबरन विवाह, बंधुआ मजदूरी आदि अपराध निहित है। आंतरिक बलात मजदूरी भारत की सबसे बड़ी तस्करी की समस्या है। मानव तस्कर ऋण आधारित दबाव (बंधुआ मजदूरी) का उपयोग पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कृषि, ईंट, भट्ठों, चावल मिलों, कढ़ाई और परिधान तैयार करने वाली फैक्ट्रियों और पत्थर की खदानों में काम करने हेतु

मजबूर करने के लिए किया करते हैं। मानव तस्कर बड़े अग्रिम भुगतान का वायदा कर चालाकी से उन्हें कम भुगतान करने वाली नौकरियों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लेते हैं। जहां उसके बाद तस्कर अत्यधिक ब्याज दरें जोड़ते हैं। आवास, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मदों के लिए नई कटौती करते हैं अथवा ऋण की राशि में जालसाजी करते हैं जिसे वे कम अथवा बिना वेतन के लिए काम जारी रखने में श्रमिकों को मजबूर करने के लिए उपयोग करते हैं। गैर सरकारी संगठनों ने भारत में कम से कम 8 मिलियन मानव तस्करी पीड़ितों का आकलन किया है जिनमें से अधिकांश बंधुआ मजदूर हैं। अंतरपीढ़ीगत बंधुआ मजदूरी जारी रही, जबकि मानव तस्कर मृतक की बकाया देनदारियों को उनके माता-पिता, भाई-बहन अथवा बच्चों को अंतरित कर देते थे। अक्सर मानव तस्कर सबसे वंचित समाज के लोगों को निशाने पर रखते हैं। मानव तस्कर 6 साल से भी कम आयु के छोटे बच्चों सहित पूरे परिवारों को ईंट भट्ठों में काम के लिए मजबूर करते हैं। वर्ष 2017 में राजस्थान राज्य में ईंट भट्ठा कामगारों के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान राज्यों के 40% से भी अधिक मौसमी कामगारों की भट्ठा मालिकों के प्रति देनदारी थी जो पूरे मौसम में कामगारों द्वारा अर्जित राशि से भी अधिक था। कुछ राज्यों में शोषणकारी ठेकेदारों जो बंधुआ मज़दूरी में श्रमिकों को फंसा लेते थे। वे स्थानीय सरकारी अधिकारी अथवा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कुछ मानव तस्करों ने बंधुआ मजदूरों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी वैध मजदूरी मांगी और कुछ बंधुआ मजदूरों की मानव तस्करों के कब्जे में मौत हो गई। मानव तस्कर झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में कालीन उत्पादन और अभ्रक खनन और वस्त्रों में बंधुआ मजदूरी में पूरे परिवारों सहित वयस्कों और बच्चों का शोषण करते हैं। कई बार वयस्कों को किसी भी कारण से परिसर छोड़ने पर बच्चों को जमानत के रूप में पीछे छोड़ा जाना अपेक्षित होता था। असम में सरकारी स्वामित्व वाले चाय बागान, कामगारों को राज्य द्वारा अधिदेशित अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम भुगतान करते हैं और कामगारों को उनके ऋण और व्यय के दस्तावेजीकरण के लिए वेतन पर्ची प्रदान नहीं करते हैं। भारतीय कानून, चाय स्टेट को कामगारों को नकदी अथवा अन्य लाभ के दोनों स्वरूप में भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह नोट किया कि कामगारों के वेतन के भाग बनने वाले खाद्य राशन की गुणवत्ता और मात्रा अपर्याप्त थी और काटी गई राशि से अधिक थी। असम में 50 चाय बागानों में 37% श्रमिकों के दैनिक व्यय उनकी दैनिक आय से अधिक थे, जिससे कामगार ऋण आधारित दबाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गए। मानव तस्कर 8 वर्ष की कम आयु के बच्चों का कृषि (नारियल, नील, अदरक और गन्ना) निर्माण घरों में काम करवाकर, परिधान, इस्पात और कपड़ा उद्योग (चर्मशोधन, चूड़ी और साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां), भीख मांगना, अपराध करवाने, खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्रियों जैसे (बिस्कुट, रोटी बनाने, मांस की पैकिंग करने और अचार बनाने, फूलों की खेती, कपास, जहाज का विखंडन करने और

विनिर्माण (तार और कांच) में जबरन मजदूरी करवाकर शोषण करते हैं। अनेक संगठनों ने पाया कि मानव तस्करी पीड़ितों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा- बंधुआ मजदूरी और यौन मानव तस्करी दोनों रूपों में की गई जोकि भारत सहित विशेष रूप से दक्षिण एशिया में व्याप्त थी। कुछ मानव तस्कर, महिलाओं और बालिकाओं को गर्भधारण करने और बिक्री के लिए बच्चों को पैदा करने हेतु मजबूर करते हैं। मानव तस्कर भारतीय और नेपाली महिलाओं और बालिकाओं का अपहरण करते हैं और भारत में "आर्केस्ट्रा नृत्यांगना" के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। विशेष रूप से बिहार राज्य में जहां लड़कियां नृत्य समूहों के साथ तब तक प्रदर्शन करती हैं जब तक कि वे जालसाजी पूर्ण तरीके से बनाया गया ऋण नहीं चुका देती हैं। मानव तस्कर धार्मिक तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में यौन मानव तस्करी में महिलाओं और बच्चों का शोषण करते हैं, कुछ मानव तस्कर रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों से बच्चों का अपहरण करते हैं, मादक पदार्थों के जरिए बालिकाओं को फंसाते हैं और बालिकाओं को यौन मानव तस्करी में जाने के लिए मजबूर करते हैं और 5 वर्ष जैसी कम आयु में हार्मोन इंजेक्शन देते हैं ताकि वे अपनी आयु से बड़ी प्रतीत हों। कुछ कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारी संदिग्ध मानव तस्करों और वेश्यालय के स्वामियों को कानून के प्रवर्तन से बचाते हैं और पीड़ितों से यौन मानव तस्करी करने वाले प्रतिष्ठानों और यौन सेवाओं की एवज में रिश्वत लेते हैं।

अब तक हमने उन समस्याओं पर बात की जो मानव तस्करी के रूप में हमें दिखाई देती हैं किन्तु सरकार इस अपराध को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाती है यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि बात करें तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इससे संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 23- यह मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24- जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में रोजगार पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 और 370 ए मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने हेतु व्यापक उपाय प्रदान करती हैं जिसमें शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में यौन शोषण, गुलामी दास्तां या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण के लिए बच्चों की तस्करी शामिल है। धारा 372 एवं 373 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बचाने और खरीदने से संबंधित है । अन्य विधानों की यदि बात करें तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956(IPTA) व्यवसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट कानून बनाए गए हैं जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (pocso) अधिनियम 2012। यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। इस मामले में भारत

द्वारा उठाए गए अन्य कदम पर यदि बात करें तो मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निर्णयों को संप्रेषित करने और कार्यवाई पर अनुवर्ती कार्यवाई करने हेतु गृह मंत्रालय ने वर्ष 2006 में एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल की स्थापना की थी। मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU), यह गृह मंत्रालय ने एक व्यापक योजना स्ट्रेथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिस्पांस इन इंडिया अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2010 के तहत देश के कई जिलों में AHTU की स्थापना के लिए फंड जारी किया है। AHTU की प्राथमिकता पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिए कानून प्रवर्तन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क करना है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2011 में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTOC) की पुष्टि की है जिसमें अन्य लोगों के बीच विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल है। भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए और इसका मुकाबला करने हेतु सार्क कन्वेंशन की पुष्टि की है महिलाओं और बच्चों में मानव तस्करी की रोकथाम प्राप्ति प्रत्यावर्तन और तस्करी के पीड़ितों के एकीकरण के लिए भारत व बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जून 2015 में हस्ताक्षर किया गया ।न्यायिक संगोष्ठी यह उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जाती है इसका उद्देश्य मानव तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और त्वरित अदालती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। क्षमता निर्माण में सरकार द्वारा पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर पुलिस अधिकारियों तथा अभियोजकों के लिए मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

इन सारे प्रावधानों के होते हुए भी तस्करी की समस्या को जड़ से खत्म करने का सपना अभी भी काफी दूर दिखाई दरहा है। यूनाइटेड स्टेट ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें विश्व के सभी देशों को तीन श्रेणियों में बांटकर मानव तस्करी की समस्या निवारण स्थितियों पर अपना विचार प्रकट किया है। यह वर्गीकरण किसी देश के अवैध व्यापार समस्या की भयावहता पर आधारित नहीं है बल्कि मानव तस्करी के उन्मूलन के लिए न्यूनतम मांगों को पूरा करने के प्रयासों पर आधारित है। **टायर फर्स्ट, टायर सेकंड एंड टायर थर्ड। टायर फर्स्ट** में वे देश जिनकी सरकारें पूरी तरह से तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम(मानव तस्करी पर अमेरिका का कानून) के न्यूनतम मानकों का पालन करती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और दक्षिण कोरिया। **सेकंड टायर** में वे देश जिनकी सरकारें तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करती लेकिन उन मानकों के अनुपालन के तहत खुद को लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही हैं। ये वे देश है जहां तस्करी के पीड़ितों की संख्या महत्वपूर्ण स्तर पर है या अत्यधिक बढ़ रही है जैसे भारत। **टायर थर्ड में** वे देश आते हैं जिनकी सरकारें न्यूनतम मानकों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं और ऐसा करने के लिए

महत्वपूर्ण प्रयास नहीं कर रही हैं जैसे अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, क्यूबा, एट्रिया, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, दक्षिण सूडान, सीरिया और तुर्कमेनिस्तान।

भारत को दूसरी श्रेणी में रखा गया है और उस पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि भारत तस्करी को खत्म करने के लिए न्यूनतम मांगों को पूरा नहीं कर पाया है जबकि इसे खत्म करने के लिए सरकार लगातार आवश्यक प्रयास करती रही साथ ही जब बंधुआ मजदूरी की बात आती है तो यह प्रयास अपर्याप्त प्रतीत होते हैं।

कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है. यदि इसी आधार पर हम बात करें तो आदिवासी कथाकारों ने भी इन विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है जो समाज में चल रहे इस घृणित अपराध को बयां करने में सक्षम है। आदिवासी कथाकार **वाल्टर भेंगरा तरुण की कहानी संगी** और **मंगल सिंह मुंडा की कहानी धोखा** बंधुआ मजदूरी की भयावहता को बयां करती है तो वही **वाल्टर भेंगरा तरुण की कहानी लसा** और **मक्कड़जाल** तथा **रूपलाल बेदिया** की कहानी **अमावस की रात में भगजोगनी** यौन शोषण हेतु स्त्रियों की खरीद-फरोख्त का पर्दाफाश करती है। यह कहानियां उन मनुष्यों का दर्द बयां करती है जो आर्थिक तंगी के कारण इस घृणित जाल में फंसाये जाते हैं। वाल्टर भेंगरा तरुण की कहानी **संगी** उस युवा पीढ़ी का आह्वान करती है जो आदिवासी क्षेत्रों से अपने लोगों को बंधुआ मजदूरी के चक्रव्यूह में फंसने से रोकने का प्रयास करते हैं। कहानी की मुख्य पात्र **दुलारी हेंब्रम** ट्रेन यात्रा में बिना टिकट के जा रहे आदिवासी मजदूरों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अपनी जागरूकता का प्रमाण देती है और कहती है कि "देखिए इन भोले-भाले गांव के मजदूरों को शहर के ठेकेदार बहला-फुसलाकर दिल्ली पंजाब ले जा रहे हैं पूछने पर बता रहे हैं कि ठेकेदार ने इन्हें 20 रुपए प्रतिदिन की मज़दूरी के साथ मुफ्त राशन पानी और इलाज आदि की सुविधा देने की बात कही है यह कितना बड़ा झूठ और फरेब है। आज इतनी बड़ी रकम कोई भी ठेकेदार अपने मजदूरों को नहीं देता और देखिए इनमें जवान बहने और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें चोरी-छिपे ले जाया जा रहा है। रास्ता खर्चा भाड़ा आदि के नाम पर इनसे 200 रुपए भी ऐंठ लिए गए हैं। इनके पास टिकट भी नहीं है कानूनन राज्य से बाहर मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही ले जाया जा सकता है।"[2] यह सारी व्यथा वह अपने मित्र फागू से कहती है और तत्परता दिखाते हुए टीटी से आग्रह करती है की वह इन्हें शहर जाने से रोके। जहां लेखक दुलारी के माध्यम से यह पहले ही सचेत कर देना चाहता है कि जिस दुनिया की कल्पना कर आप घरों को छोड़कर शहरों की तरफ चले आ रहे हैं वह महज एक मृग मरीचिका है। जिसकी तलाश में आपका जीवन नर्क बनकर रह जाएगा। लेखक लिखते हैं कि दुलारी का स्वर गुस्से में और भी अधिक कांपने लगा था "यह अनपढ़ आदिवासी मजदूर हमारे भाई बहन हैं इनका शोषण और नहीं किया जा सकता। इन्हें लालच देकर बहला-फुसलाकर चोरी से ले जाया जा रहा है गैरकानूनी ढंग से बंधुआ मजदूरों की तरह इन से काम लेते हैं ठेकेदार।"[3]

महानगरों में काम करने वाले फैक्ट्रियों में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखकर स्वत: अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके काम के आधार पर उनका मेहनताना बराबर नहीं मिलता है। ठेकेदार इधर-उधर करके मजदूरी में से कटौती करता है और श्रम की जब बात आती है तो अपने फायदे के लिए अधिक से अधिक काम करवाता है।

मंगल सिंह मुंडा की कहानी धोखा ईंट भट्ठों में काम करने वाले उन मजदूरों के बारे में अभिव्यक्ति दर्ज करती है कि ईंट भट्ठा में काम करने वाली स्त्रियों के साथ भट्ठा मालिक, ठेकेदार किस तरह से दोहरा छल कपट करते हैं। एक तो उनके श्रम का मूल्य नगण्य के बराबर रखते हैं और भावनाओं का शोषण अमानवीयता के स्तर पर जाकर करते हैं। इस कहानी की पात्र **मुंगली** अकेली नहीं है बल्कि न जाने ऐसी कितनी मुंगली ईट भट्टों पर मिल जाएंगी जिनके साथ ठेकेदारों ने प्रेम प्रस्ताव का प्रपंच रच उनके श्रम का मूल्य अपने हिस्से गटक गए होंगे। यह मजदूर अपनी आर्थिक विवशता का दर्द लिए मारे-मारे फिरते हैं जिसका फायदा ये ठेकेदार मनमाने ढंग से उठाते हैं। लेखक लिखते हैं कि"कलकत्ता से दीघा और फिर हल्दिया से बिहार के मोकामा तक, इतने विशाल प्रदेश में ईंट कौन बनाता है, मालूम है? ये ही झारखंड के गरीब आदिवासी। ईश्वर ने इन्हें बड़ी सूझबूझ से बनाया है जो कहो, हां ही में उत्तर देंगे। न कहना तो यह जानते ही नहीं। ईमानदारी की तो यह सजीव मूर्ति हैं। यही सब कारण है इनकी डिमांड का। जिस ठेकेदार के हाथ लगे कि वह चांदी काटने लगता है, क्योंकि 20 का हिसाब लगाओ और 15 का भुगतान कर दो। 5 अपनी जेब में भर लो। क्या बताऊं साहब कभी-कभी इनकी हालत देखकर मुझे भी रोना आता है। .... इनकी गरीबी की आग इतनी भयंकर है कि फूल जैसे मासूम चेहरे भी जलकर खाक हो जाते हैं। यह तो देख रहे हैं ना कितनी सुंदर और चरित्रवान लड़की है। मुंगली नाम है इसका। ठेकेदार रघुनाथ के जाल में फंस गई बेचारी।"[4]

वाल्टर भेंगरा तरुण की कहानी **लसा** उस दृश्य से परिचय कराती है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों से लड़कियों को काम के नाम पर शहर ले जाकर देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। कहानी में देवेंद्र नामक पात्र वह शिकारी है जो शहरों में लड़कियों को देह व्यापार में बेच देता है और गांव में एक सज्जन होने का ढोंग कर अपना जाल बिछाता है। इस कार्य में वह अकेला नहीं होता है। वह चुनता है सरला जैसी स्त्री को जिसे आर्थिक मदद हेतु सिलाई सेंटर का झांसा देकर उससे अपने अनुसार काम करवाता है। यहां सरला भी बिचौलिए की भूमिका में दिखाई देती है और गांव की तीन लड़कियों मरियम, तुलसी और फूलबनी की जरा सी आर्थिक मदद कर शहर में काम का प्रलोभन देकर उसे देवेंद्र के हाथों बेच देती है। यह कहानी उन दृश्यों का खुलासा करती जिसमें लड़कियां आदिवासी क्षेत्रों से चुनकर शहर के घरों में आया के काम का प्रलोभन देकर या अन्य कामकाजी कार्यों के लिए तो लाई जाती हैं किंतु यथार्थ के धरातल पर वे मौत के मुहाने में ढकेल दी जाती हैं। देवेंद्र के अमानवीय विचार को लेखक कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि"एक

दिन देवेंद्र जी का बुलावा आया, सरला खुश थी कि उसे आभार जताने का मौका मिला। वह तैयार होकर बस से संस्था के मुख्यालय पहुंची। सामान्य औपचारिकता के बाद देवेंद्र जी ने सरला से कहा देखो सरला हम बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। जो लोग संस्था को आर्थिक मदद देते हैं और जिन लोगों से हम तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करते हैं उनकी भी कुछ मांगे कभी-कभी रहती हैं। हम उन्हें ना नहीं कह सकते। दिल्ली में ऐसे ही कुछ साहब लोग हैं जिन्हें उनके घरों में काम करने के लिए घरेलू किस्म की नौकरानियों की जरूरत है तुम इस मामले में हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हें आस-पास के गांव की लड़कियों को इस काम के लिए राजी करना होगा लेकिन इस काम में गोपनीयता रखनी होगी किसी तीसरे आदमी तक इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं?"5 इन अल्फाजों से ही साफ-साफ जाहिर होता है कि देवेंद्र की मनसा कैसी है? यहां यह देखने की बात तो यह है कि सरला एक स्त्री होकर भी एक दूसरे स्त्री को उसी कार्य में घसीट लाने को किस तरह विवश कर दी जाती है और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाती है कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन है जबकि इसके पीछे छिपा है वह शिकारी जो सभ्य होने का ढोंग करता है। लेखक लिखते हैं कि" तुम अभी मेरे साथ चलो फिर तुलसी को लेकर सरला शहर को जाने वाली आखरी बस में चढ़ गई। शाम के धुंधलके में दोनों को किसी ने नहीं देखा। शिकारी को अपना शिकार मिल गया था।"6 वो कहते हैं ना कि जब भूख लगती है तो ध्यान रोटी पर होता है रोटी देने वाले पर नहीं शायद इसीलिए यह मनुष्य के खरीद बेच की दुनिया सबसे पहले उनकी कमजोर पक्ष को अपने कब्जे में लेती है तत्पश्चात अपना फायदा वसूलती है। वाल्टर भेंगरा तरुण की ही कहानी **मक्कड़जाल** जिसमें एक ऐसी स्त्री की कथा है जो दिल्ली के एक घर में आया के रूप में काम के लिए जाती है जहां उसके साथ दुर्व्यवहार होता हैं। उसकी स्मृति से प्रारंभ होती है यह कहानी "नई दिल्ली के पास कॉलोनी से झारखंड की बेटी बचाई गई समाचार पत्र की एक हेडलाइंस सिटी पेज पर छपी हुई थी। समाचार के आगे की पंक्तियों में विवरण दिया गया था कि आशा वेलफेयर सोसाइटी और दिल्ली पुलिस की मदद से झारखंड की एक नाबालिग आदिवासी युवती को रेस्क्यू कर बचाया गया। जल्द ही झारखंड सरकार के महिला कल्याण विभाग को यह युवती सौंप दी जाएगी। सुमंती ने भी वह समाचार पढ़ा वह भी इसी तरह एक दिन दिल्ली के एक बंगले से छुड़ाई गई थी। जिस बंगले में वह आया का काम करती थी उसका मालिक उसके साथ हर तरह से उसकी कमजोरी का फायदा उठाया करता था। मालकिन बात-बात पर नुक्स निकाल कर उसे पीटती, थप्पड़ मारती और कभी-कभी दिन-रात काम कराने के बाद भी दो रोटी तक खाने के लिए नहीं देती थी।... एक दिन तो बच्चे के लिए दूध गर्म करते समय दूध उबलकर चूल्हे के ऊपर फैल गया उस दिन, रात को बतौर सजा खाना नहीं मिला। सुमंती भूखी रही रात भर रोती सिसकती रही। अगले दिन काम में सुस्ती स्पष्ट झलक रही थी। मेम साहब ने कपड़ा इस्त्री करने को कहा तो गलती से लड़के का यूनिफार्म एक जगह थोड़ा सा जल गया, गुस्से से लाल होकर मेम साहब

ने उसी इस्त्री से उसके हाथ को जला दिया। दर्द से कराह उठी थी सुमंती।"[7] शहरों में ठेकेदार आदिवासी क्षेत्रों से लड़कियों को काम का झांसा देकर एक नई जिंदगी का स्वप्न दिखाकर उनके साथ मन माने ढंग से दुर्व्यवहार करते हैं और जहां काम मिलता है वहां भी उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यानी मक्कड़जाल कहानी अपने शीर्षक में ही यह बयां करती है कि लड़कियां बिचौलिए रूपी मकड़ी के जाल में किस तरह से फंसकर अपने अस्तित्व की छटपटाहट लिए दम तोड़ देती हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन इन खबरों का सुर्खियों में बने रहना यह साबित करता है कि यह समस्याएं एक गहरी पैठ बनाए हुए हैं। विवाह का सहारा लेकर आदिवासी क्षेत्रों से स्त्रियों के खरीद बेच की जो समस्याएं सामने आती हैं वो रूपलाल बेदिया जी अपनी कहानी **अमावस की रात में भगजोगनी** में बताते हैं कि भगजोगनी जो अपने घर में भाग जगाने वाली मानी जाती है जिसकी पैदाइश से सब खुश होते हैं वह कहानी में उन स्त्रियों के प्रतिछाया के रूप में दिखाई देती है जो धोखे से विवाह के माध्यम से बेंच दी जाती हैं। इस कहानी में भगजोगनी की शादी एक बिचौलिए के माध्यम से दूर गांव से आए एक व्यक्ति से करा दी जाती है किंतु वह व्यक्ति उसे ले जाकर एक मेले में बेच देता है। जहां उसकी खरीद राजस्थान के एक पुरुष द्वारा की जाती है और वह जब अपने घर लाता है तो वहां का दृश्य देख भगजोगनी दहल जाती है तब उसे यथार्थ का पता चलता है कि वह ठगी गई है। उसे एक सामान की तरह खरीदा और बेचा गया है। राजस्थान पहुंचने पर उससे पता चलता है कि वह किसी एक की ब्याहता नहीं है बल्कि पांच भाइयों की इकलौती पत्नी है। वह एक ऐसे समाज में बेंच दी गई है जहां स्त्री को सहवास के लिए प्रयोग किया जाता है किंतु किसी लड़की का पैदा होना उनके लिए अपने घर को तोड़ने की बात जैसा है। लेखक लिखते हैं कि "मेले में गजब की भीड़ थी। ऐसी भीड़ हमारे गांव से कुछ दूर अगहन पूर्णिमा के दिन लगने वाले जतरा में ही होती थी। लेकिन हमारे गांव के मेले जैसा इस मेले में नाच गाना कहीं नजर नहीं आ रहा था। छोटे-मोटे मानवचलित झूले जरूर दिखाई दे रहे थे। गुब्बारे खिलौने तमाशे तरह-तरह के सामानों की दुकानें भी सजी हुई थी। एक तरफ पंक्तिबद्ध कई कतारों में बेंचें लगी हुई थी। मुझे एक बेंच पर बैठने को कहा गया। तमाम बेंचों पर वैसे ही कतारों में लड़कियां बैठी हुई थी। संभवत उनमें से कुछ औरतें भी थी। सब के सब अच्छे वस्त्रों में सजी-धजी। वे सभी मेरी ही जैसी नवविवाहिता होंगी, मैंने सोचा था। वे सब मेरी ही जैसी डरी सहमी लग रही थी। हमें देखने वालों का जैसे रेला था। उनमें किशोर युवा बूढ़े सभी थे। दुल्हनों को देखने के लिए लोग का इकट्ठा होने मुझे ज्यादा संभावित नहीं लगा परंतु मैंने गौर किया कि उन देखनेवालों में एक भी स्त्री या लड़की नहीं थी। इस कारण मैं आश्चर्यचकित हो रही थी कि यह कैसा रिवाज है कि नवविवाहितों के लिए मेला लगा हुआ और केवल पुरुष देखने आए हो! "[8]..... आर्थिक तंगी से परेशान परिवारों को देखकर बिचौलिए अपना स्वार्थ सिद्धि करते हुए आदिवासी लड़कियों का विवाह तो करा देते हैं पर शहर की तरफ लाकर मेले में ले जाकर उनको दूसरे व्यक्तियों के हाथों बेच देते हैं। मानव तस्करी की यह एक गंभीर

समस्या यहां दिखाई देती है कि मनुष्य ही मनुष्य का सौदा कर रहा है और इस बात का उसे पछतावा भी नहीं है। भगजोगनी उस मेले में एक ऐसे परिवार को बेच दी जाती है जहां बेटी जैसा कोई शब्द नहीं है पर पत्नी की आवश्यकता होती है। लेखक आगे कहते हैं कि "इस बीच बहुत कुछ बदल गया था कितनी ऋतुए आईं और चली गई, नहीं बदला तो दूसरे राज्यों से लड़कियों का धोखे से दलालों के द्वारा खरीद कर लाना। उन लड़कियों को किसी से बात करने नहीं दिया जाता है।"[9]

इन सभी कहानियों में मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी के रूप में,यौन शोषण हेतु खरीद-फरोख्त इन सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किस तरह से जाल बिछा कर स्वार्थ सिद्धि की जाती है।यह कहानियां समस्याओं से रूबरू तो कराती है साथ ही साथ समाधान की ओर भी संकेत करती हैं कि मनुष्य को मनुष्य की तरह समझा जाए। दो वक्त की रोटी कमाने की खातिर उनके जीवन को नर्क न बनाया जाए। कानूनी प्रावधान जितनी प्रगति से योजनाओं में बताए जाते हैं उतनी ही तत्परता के साथ जमीनी हकीकत पर भी उन्हें सक्रिय होना पड़ेगा। यह समस्या किसी पुरुष की नहीं किसी स्त्री की नहीं बल्कि यह मनुष्य होने के अस्तित्व को समझने की है।

सारांश:

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि समाज का हुबहू चित्रण करने में साहित्यकारों की जैसी भूमिका बनी हुई है वैसी ही भूमिका सरकार व स्थानीय प्रशासन की भी होनी चाहिए। ये किसी एक स्थान की समस्या नहीं है ये जहर सम्पूर्ण भारत देश के कोने कोने में व्याप्त हो चुका है। ऐसे में योजनाओं का केवल कागजों पर उतर जाना ही पूरा प्रयास नहीं माना जाएगा। जमीनी स्तर पर उसके क्या क्रिया कलाप हैं क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और उसमें अभी कितने सुधार की आवश्यकता है इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। साहित्यिक समाज की यदि बात करें तो और भी रचनाएं हैं इससे जुड़ी हुई किंतु आदिवासी समाज को लेकर इसे चित्रित करने का प्रयास अभी भी अधूरा है। किस्से कहानियां सुनने की आदत हमें बचपन से ही होती है ऐसे में कहानी के माध्यम से इसपर बात करना एक महत्त्वपूर्ण कदम दिखाई दे रहा है। इसकी निरंतरता ही इन प्रश्नों को जिंदा रखने में सफल होगी।

संदर्भ ग्रंथ:-

1-दैनिक भास्कर पत्र, 28 dec 2022,

2-लोकप्रिय आदिवासी कहानियां, संपादक वंदना टेटे, पृष्ठ संख्या 27, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

3-लोकप्रिय आदिवासी कहानियां, संपादक वंदना टेटे, पृष्ठ संख्या 29, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

4-लोकप्रिय आदिवासी कहानियां, संपादक वंदना टेटे, पृष्ठ संख्या 35, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

5-विकल्प, वाल्टर भेंगरा तरुण, पृष्ठ संख्या 42, अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली

6-विकल्प, वाल्टर भेंगरा तरुण, पृष्ठ संख्या 45, अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली

7-विकल्प, वाल्टर भेंगरा तरुण, पृष्ठ संख्या 138, अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली

8-लोकप्रिय आदिवासी कहानियां, संपादक वंदना टेटे, पृष्ठ संख्या 162, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

9-लोकप्रिय आदिवासी कहानियां, संपादक वंदना टेटे, पृष्ठ संख्या 170, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

अन्य - https://in.usembassy.gov

नेहा यादव

शोधार्थी (पी.एच.डी.)

हिंदी विभाग

हैदराबाद विश्वविद्यालय

तेलंगाना

nehayadav170797@gmail.com